झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान– सभा

अष्टम् (बजट) सत्र

वर्ग– 05

निम्नलिखित अल्प सूचित प्रश्न, शुक्रवार, दिनांक– 13 फाल्गुन,, 1943 [श0] / 04 मार्च, 2022 [ई0] को झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्रमांक–	विभागों को भेजी गई सा0 संख्या	सदस्य का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06
* 02	अ0सू0– 17	श्री सुदेश कुमार महतो	बेरोजगारी भत्ता देना।	वित्त	23.02.2022

नोटः– अ0सू0– 17– वर्ग–01 वित्त विभाग के पत्रांक– 25, दिनांक– 24.02.2022 के द्वारा वर्ग–05 श्रम नियोजन, प्रशिक्षण, एवं कौशल विकास विभाग में स्थानान्तरित।

नोटः– * 02 अ0सू0– 17 दिनांक– 28.02.2022 से सदन द्वारा दिनांक– 04.03.2022 के लिए स्थानान्तरित।

राँची,
दिनांक– 04 मार्च, 2022 (ई0)

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञापांक संख्या प्रश्न– 01/2021.....902...../वि0स0, रांची, दिनांक– 03/03/22

प्रतिः– झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/मा0 मुख्यमंत्री/मा0 मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नीलेश रंजन
31.3.2022
(नीलेश रंजन)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, रॉची।

ज्ञापांक संख्या प्रश्न– 01/2021.....902...../वि0स0, रांची, दिनांक– 03/03/22

प्रतिः– माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय तथा संयुक्त सचिव, प्रश्न को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
31.3.2022
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, रॉची।

ज्ञापांक संख्या प्रश्न– 01/2021.....902...../वि0स0, रांची, दिनांक– 03/03/22

प्रतिः– कार्यवाही शाखा/वेबसाईट शाखा, ऑनलाईन शाखा एवं आवश्वासन शाखा, को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
31.3.2022
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, रॉची।

सुभाष

03/03/22

सत्यमेव जयते

पंचम्

झारखण्ड विधान- सभा सचिवालय

अष्टम् (बजट) सत्र

वर्ग- 05

दिनांक---------- 13 फाल्गुन, 1943 (श0)
04 मार्च, 2022 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्या- 01

(1) श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग- 01

कुल योग- 01

बेरोजगारी भत्ता देना।

02– श्री सुदेश कुमार महतोः– क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

1– क्या यह बात सही है कि राज्य में नियोजनालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर पास लाखो बेरोजगारों का नाम दर्ज है और तमाम कोशिशों के बाद उन्हें नौकरी नहीं मिली है;

2– क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष– 2020–21 का बजट पेश करते हुए सरकार ने स्नातक पास बेरोजगारों को सालाना 5000 रूपये और स्नातकोत्तर पास बेरोजगारों को सलाना 7000/– रूपये बेरोजगारी भत्ता देने का घोषणा की थी, साथ ही मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 146 करोड़ रूपया का प्रावधान किया गया था;

3– क्या यह बात सही है कि यह योजना दो साल के लिए थी और बजट में घोषणा के दो साल बीत जाने के बाद भी युवाओं को अब तक एक रूपया भी बेरोजगारी भत्ता नही मिला है;

4– यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार स्नातक पास बेरोजगारों को सालाना 5000रू0 एवं स्नातकोत्तर पास बेरोजगारों को सालाना 7000 रू0 बेरोजगारी भत्ता या नौकरी देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

संशोधित प्रश्न

362
03/03/22

श्री सुदेश कुमार महतो, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–04.03.2022 को पूछे जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या – अ०सू०–17 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्नकर्त्ता श्री सुदेश कुमार महतो, माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता सत्यानन्द भोक्ता माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है, कि राज्य में नियोजनालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर पास लाखों बेरोजगारों का नाम दर्ज है और तमाम कोशिशों के बाद उन्हें नौकरी नहीं मिली है;	**आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।** राज्य के नियोजनालयों में निबंधित शिक्षित बेरोजगारों को निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोजगार मेला एवं भर्त्ती कैम्पों का आयोजन समय–समय पर किया जाता है, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2019–20 में 13,667, वित्तीय वर्ष 2020–21 में 2,504 एवं वर्त्तगान वित्तीय वर्ष 2021–22 में 2,119 इस प्रकार कुल 18,290 निबंधित युवाओं को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया गया है।
2	क्या यह बात सही है, कि वित्तीय वर्ष–2020–21 का बजट पेश करते हुए सरकार ने स्नातक पास बेरोजगारों को सालाना 5000 रुपये और स्नातकोत्तर पास बेरोजगारों को सालाना 7000/– रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की थी, साथ ही मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 146 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया था;	**आंशिक रूप से अस्वीकारात्मक है।** सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के मापदण्ड को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष के लिए इस योजना के कार्यान्वयन हेतु मूल बजट में रु0 8766.80 लाख की राशि प्रावधानित था। वर्त्तमान में सम्पूर्ण बजटीय राशि का प्रत्यार्पण कर दिया गया है।
3	क्या यह बात सही है, कि यह योजना दो साल के लिए थी और बजट में घोषणा के दो साल बीत जाने के बाद भी युवाओं को अब तक एक रुपया भी बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है;	**आंशिक रूप से अस्वीकारात्मक।**
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार स्नातक पास बेरोजगारों को सालाना 5000 रु0 एवं स्नातकोत्तर पास बेरोजगारों को सालाना 7000 रु0 बेरोजगारी भत्ता या नौकरी देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के मापदण्ड को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

03/03/22

(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–02 / श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–08 / 2022श्र0नि0– 362 राँची, दिनांक– 03/03/2022

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं०–176, दिनांक–23.02.2022 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

03/03/2022

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–02 / श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–08 / 2022श्र0नि0– 362 राँची, दिनांक– 03/03/2022

प्रतिलिपिः–अपर सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक–25 / वि०स०, दिनांक–24.02.2022 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

03/03/2022

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान सभा

अष्टम् (बजट) सत्र

वर्ग–05

निम्नलिखित अल्पसूचित प्रश्न, शुक्रवार, दिनांक– 13 फाल्गु, 1943 (श0) ..... को 04 मार्च, 2022 (ई0) झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0	विभाग को भेजी गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06.
38.	अ0सू0–02	श्री विनोद कु0 सिंह	बेरोजगारी भत्ता देना।	श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	17.02.22
39.	अ0सू0–11	श्री ढुलू महतो	सुविधा केन्द्र स्थापित करना।	श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	25.02.22
40.	अ0सू0–09	श्री प्रदीप यादव	औषधि केन्द्र चलाना।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	25.02.22
41.	अ0सू0–13	डॉ0 लम्बोदर महतो	कानून लागू करना।	श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	25.02.22
42.	अ0सू0–08	डॉ0 सरफराज अहमद	नियुक्ति करना।	विधि	25.02.22
43.	अ0सू0–29	श्रीमती अपर्णासेन गुप्ता	योजना चालू करना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	25.02.22
44.	अ0सू0–01	श्री बिरंची नारायण	अधिकारियों पर कार्रवाई।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	17.02.22
45.	अ0सू0–35	प्रो0 स्टीफन मराण्डी	मानदेय का भुगतान।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	26.02.22

01.	02.	03.	04.	05.	06.
46.	अ0सू0-34	श्रीमती दीपिका पाण्डेय	रोजगार मुहैया कराना।	श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	26.02.22
47.	अ0सू0-22	श्री नवीन जयसवाल	लम्बित वेतन का भुगतान।	विधि	25.02.22
48.	अ0सू0-23	श्री नीरल पुरती	कार्यक्रम में शामिल करना।	श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	25.02.22
49.	अ0सू0-28	डॉ नीरा यादव	खतियान ऑनलाईन करना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	25.02.22
50.	अ0सू0-33	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	गुणवत्ता की जाँच।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	26.02.22
51.	अ0सू0-16	श्री प्रदीप यादव	कठिनाईयों को दूर करना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	25.02.22
52.	अ0सू0-15	श्री अमर कु0 बाउरी	प्रोत्साहन राशि का भुगतान।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	25.02.22
53.	अ0सू0-18	श्री अमित कु0 यादव	ऑनलाईन रसीद निर्गत करना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	25.02.22
54.	अ0सू0-20	डॉ लम्बोदर महतो	अध्यक्ष/सदस्यों की नियुक्ति।	विधि	25.02.22
55.	अ0सू0-07	श्री बंधु तिर्की	प्रदेश वापसी।	श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	25.02.22
56.	अ0सू0-10	डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता	आश्रितों को मुआवजा।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण।	25.02.22

राँची
दिनांक-04 मार्च,2022 (ई0)

सैयद जावेद हैदर,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0(प्रश्न)-06/2020-760/वि0स0,राँची,दिनांक-28/02/22

प्रतिलिपि :- झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/मुख्यमंत्री/अन्य मंत्रिगण/संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

28.02.22

(महेश नारायण सिंह)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

(क0प्र0उ0)

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0(प्रश्न)-06/2020-760/वि0स0, राँची, दिनांक-28/2/22

प्रतिलिपि :- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/निजी सहायक (सचिवीय कार्यालय) को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

28.02.22

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0(प्रश्न)-06/2020-760/वि0स0, राँची, दिनांक-28/2/22

प्रतिलिपि :- कार्यवाही शाखा/बेवसाईट शाखा/ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

28.02.22

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

28/02/22

(38)

श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–04.03.2022 को पूछे जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या – 02 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्नकर्त्ता श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता सत्यानन्द भोक्ता माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है कि, CMIE के अनुसार राज्य में बेरोजगारी दर 17.3% है साथ ही बेरोजगारी में झारखण्ड राज्य देश के तीसरे स्थान पर है;	CMIE के माह दिसम्बर, 2021 के आँकड़ों के आधार पर स्वीकारात्मक है। माह जनवरी, 2022 के आँकड़ों के अनुसार झारखण्ड राज्य में बेरोजगारी दर 8.9% है।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य में गत दो वर्षों में सबसे कम नियुक्ति हुई है;	राज्य के नियोजनालयों में निबंधित शिक्षित बेरोजगारों को निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोजगार मेला एवं भर्त्ती कैम्प का आयोजन समय–समय पर किया जाता है, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2019–20 में 13667 एवं वित्तीय वर्ष 2020–21 में 2504 कुल 16171 निबंधित युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये हैं।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर सही हैं, तो क्या सरकार रोजगार बढ़ाने व स्नातक पास युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का विचार रखती है ? हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के मापदण्ड को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

24/02/22

(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–02 / श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–05 / 2022श्र0नि0– 287 राँची, दिनांक– 24/02/22

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं०–121, दिनांक–17.02.2022 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/02/22

सरकार के अवर सचिव।

E:\San\Rahul\Vidhan Sabha 2021-22\Letter\05-05-2022 E..docx

(39)

364
03/03/22

श्री ढुलू महतो, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–04.03.2022 को पूछे जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या – अ०सू०–11 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्नकर्त्ता श्री ढुलू महतो, माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता सत्यानन्द भोक्ता माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है कि नागरिक सभी जिलों से देश के विभिन्न राज्यों यथा दिल्ली, हरियाणा, केरल, मुम्बई एवं अन्य राज्य में हजारों की संख्या में कार्य/मजदूरी करने जाते है;	**उत्तर–आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।**
2	क्या यह बात सही है कि जो भी झारखण्डी भाई देश के दूसरे राज्यों में कार्य करने जाते हैं उनके सुविधा के लिए कोई नोडल एजेन्सी विश्राम स्थल, सुविधा केन्द्र नहीं होने से काफी परेशानी होती है;	**उत्तर–आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।** वस्तुतः जो भी प्रवासी श्रमिक दूसरे राज्यों में कार्य करने जाते है, यदि उनकी संख्या किसी भी प्रतिष्ठान में पाँच या उससे अधिक होती है तो वैसे प्रतिष्ठान अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन एवं सेवाशर्त्त विनियमन) अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत आच्छादित होते हैं। दूसरे राज्यों में कार्यरत प्रवासी श्रमिकों से समन्वय करने हेतु राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष संचालित है। इस नियंत्रण कक्ष के माध्यम से व्हाट्स ऐप नं0– 9470132591, 9431336427, 9431336398, 9431336472, 9431336432 पर सेवा 24X7 उपलब्ध है। कार्यालय अवधि में टेलीफोन नम्बर–0651–2481055, 0651–2480058, 0651–2480083, 0651–2482052, 0651–2481037, 0651–2481188 क्रियाशील है। साथ ही नियंत्रण कक्ष में कार्यालय अवधि में श्रमिक हेल्पलाईन टॉल–फ्री नं0–18003456526 भी संचालित है।
3	क्या यह बात सही है कि यदि कोई झारखण्डी भाई यदि बीमार पड़ जाता है तो काफी परेशानी उत्पन्न हो जाती है और उसे देखने/सम्भालने वाला कोई नहीं होता है और ना ही कोई सुविधा दिलाने के लिए कोई रहता है;	**उत्तर–आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।** प्रवासी श्रमिकों की समस्या से संबंधित सूचना प्राप्त होने पर राज्य सरकार उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु समुचित प्रयास करती है।
4	क्या यह बात सही है कि दुर्भाग्यवश किसी के साथ कोई दुर्घटना या बीमारी के कारण देहान्त हो जाता है तो वापस अपने गृह स्थान पहुँचने में काफी दिक्कत उत्पन्न होती है;	**उत्तर–आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।** दुर्घटना/प्राकृतिक आपदा में प्रवासी मजदूर की मृत्यु होने/पूर्ण अशक्तता होने पर दूसरे राज्य से कर्मकार/आश्रित परिवार को पैतृक आवास तक पहुँचाने का सम्पूर्ण व्यय "अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूर सर्वेक्षण एवं पुनर्वास योजना" में सम्प्रति प्रावधानित है।

5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार झारखण्ड राज्य से देश के दूसरे हिस्से में कार्य करने वालों के लिए नोडल एजेन्सी ठहरने की व्यवस्था, सुविधा केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

03/03/22

(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–02 / श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–11 / 2022श्र0नि0– 364 राँची, दिनांक– 03/03/22

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं०–465, दिनांक–25.02.2022 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

03/03/22

सरकार के अवर सचिव।

(40)

श्री प्रदीप यादव, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-04.03.2022 को सदन में पूछा जाने वाला
अल्प सूचित प्रश्न सं0-अ0सू0-09 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1. क्या यह बात सही है कि सरकार ने रिम्स में चल रहे जन औषधि केन्द्र जो रिम्स को 20% आमदनी भी देता था, अब वह एक प्राईवेट एजेंसी को सौपा जा रहा है ;	भारतीय जन औषधि परियोजना, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कम मूल्य पर गुणवत्तायुक्त दवाईयों को गरीब मरीजों को उपलब्ध कराई जाती है। उपायुक्त, राँची की अगुवाई में त्रिपक्षीय समझौता बी0पी0पी0 (भारत सरकार का उपक्रम), उपायुक्त, राँची कार्यालय (सिविल सर्जन, राँची) एवं रिम्स के बीच होकर निविदा के माध्यम से एक एजेन्सी (विन्धया मेडीकोज) का चयन किया गया, जो दिनांक 24.01.2022 से रिम्स प्रांगण में संचालित है।
2. क्या यह बात सही है, कि जन औषधि केन्द्र के लिए बहाल 11 फार्मासिस्ट भी सरकार के इस निर्णय से बेकार हो जायेंगे ;	वैकल्पिक व्यवस्था के तहत रिम्स में विभिन्न स्थानों पर कार्यरत फार्मासिस्ट को अपने कार्य के अतिरिक्त जन औषधि केन्द्र में कार्य करने हेतु प्रतिनियुक्ति की गई थी। एजेन्सी तय होने के उपरांत उन्हें पुनः अपने मूल स्थानं पर कार्य करने हेतु आदेश निर्गत कर दिया गया है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जन औषधि केन्द्र को रिम्स प्रबंधन के माध्यम से चला कर उसे दुरूस्त करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	निविदा के माध्यम से चयनित एजेन्सी (विन्धया मेडीकोज) द्वारा प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र सुचारू रूप से चलाया जा रहा है, जो कि गुणवत्तायुक्त दवाईयाँ कम मूल्य पर मरीजों को उपलब्ध करा रहा है एवं साथ ही साथ एम0आर0पी0 दर पर अतिरिक्त 7% छूट प्रदान कर रहा है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांकः-11/वि0स0-05-02/2022 47(11) स्वा0/राँची/दिनांकः- 03-3-2022

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0-475/वि0स0 दिनांक-25.02.2022 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.3.22

सरकार के अवर सचिव।

(41)

डॉ० लम्बोदर महतो, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–04.03.2022 को पूछे जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या – 13 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्नकर्त्ता डॉ० लम्बोदर महतो, माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता सत्यानन्द भोक्ता माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में कार्यरत निजी क्षेत्र के कल कारखानों में राज्य के स्थानीय व्यक्तियों को 75 प्रतिशत आरक्षण देने का कानून झारखण्ड राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 राज्य सरकार द्वारा बनाया गया है;	स्वीकारात्मक है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कानून के लागू होने से अबतक राज्य के कितने स्थानीय व्यक्तियों को उक्त कानून के आच्छादित राज्य के कल कारखानों में नौकरी दिया गया है, विस्तृत जानकारी के साथ सरकार उक्त कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 के अन्तर्गत नियम बनाने की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है।

02/03/22

(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–02 / श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–12 / 2022श्र0नि0– 349 राँची, दिनांक– 02/03/22

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं०–464, दिनांक–25.02.2022 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

02/03/22

सरकार के अवर सचिव।

E:\San\Rahul\Vidhan Sabha 2021-22\05-12-2022 E..docx

(42)

डॉ0 सरफराज अहमद, माननीय सदस्य, झारखंड विधान–सभा द्वारा दिनांक–04.03.2022 को सदन में पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–08 का उत्तर सामग्री।

क्रमांक	प्रश्न		उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि रामगढ, राँची, पूर्वी सिंहभूम (जमशुदेपुर), गिरिडीह, धनबाद, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा), खूँटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, गोड्डा, जामताड़ा, साहेबगंज एवं पाकुड़ जिलों में सरकारी अधिवक्ता (Govt. Pleader) की कालावधि समाप्त हो चुकी है;	:–	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। विधि विभागीय पत्रांक–40/जे0 दिनांक–17.01.2022 द्वारा **राँची, पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर), धनबाद** एवं **गोड्डा** जिले के लिए एवं विधि विभागीय पत्रांक–760/जे0 दिनांक–21.06.2021 द्वारा **रामगढ** जिले के लिए सरकारी अधिवक्ता (Govt. Pleader) की नियुक्ति अगले 03 (तीन) वर्षों के लिए की जा चुकी है। साथ ही, स्पष्ट करना है कि झारखंड राज्य के कतिपय 08 (आठ) जिलों यथा–**सरायकेला–खरसावाँ, बोकारो, चतरा, दुमका, कोडरमा, पलामू, गढ़वा** एवं **देवघर** जिले के लिए सरकारी अधिवक्ता (Govt. Pleader) की नियुक्ति अगले 03 (तीन) वर्षों के लिए की जा चुकी है। इस प्रकार झारखंड राज्य के कुल 13 (तेरह) जिलों में सरकारी अधिवक्ता (Govt. Pleader) की नियुक्ति की जा चुकी है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित जिलों में सरकारी अधिवक्ता का शीघ्र नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	:–	झारखंड राज्य के 02 (दो) जिले यथा–लोहरदगा एवं गिरिडीह जिला में सरकारी अधिवक्ता (Govt. Pleader) की नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, जबकि शेष 09 (नौ) जिलों यथा–हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा), खूँटी, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, जामताड़ा, साहेबगंज एवं पाकुड़ जिलों में सरकारी अधिवक्ता (Govt. Pleader) की नियुक्ति हेतु अनुशंसा भेजे जाने के निमित्त संबंधित जिले के उपायुक्त को अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया है।

झारखण्ड सरकार
विधि विभाग

ज्ञापांक–ए0/विधि–वि0स0प्र0–06/2022–420/जे0 राँची, दिनांक–02/03/ 2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–479/वि0स0, दिनांक–25.02.2022 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

02/03/2022

(नलिन कुमार)
प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखण्ड, राँची।

(43)

13/नि॰ (विधान सभा) 02/2022.....

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

श्रीमति, अपर्णा सेनगुप्ता, मा॰स॰वि॰स॰ द्वारा दिनांक 04.03.22 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ॰सू॰–29 की उत्तर सामग्री

क्र॰	प्रश्न	उत्तर
	श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता, मा॰स॰वि॰स॰	**श्री हफीजुल हसन माननीय मंत्री,निबंधन विभाग, झारखण्ड, रांची।**
1.	क्या यह बात सही है कि, धनबाद जिला का निरसा विधान सभा क्षेत्र खनन, औधोगिक एवं घनी आबादी वाला क्षेत्र है;	**स्वीकारात्मक।**
2.	क्या यह बात सही है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा महिलाओं के नाम 1 रूपये में भूमि का निबंधन योजना शुरू किया गया था ;	**स्वीकारात्मक।**
3.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त योजना को बंद कर दिया गया है, जिससे महिलाएँ उक्त योजना से लाभान्वित तथा परिसंपति का स्वामित्व होने से वंचित हो रही हैं ;	**आंशिक रूप से स्वीकारत्मक।** विभागीय अधिसूचना संख्या–220 एवं 221 दिनांक–15.05.2020 द्वारा कोविड के कारण राज्य की आर्थिक स्थिति पर पड़े दुष्प्रभाव को कम करने तथा राजस्व में वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु महिलाओं के पक्ष में संपत्तियों के क्रय में मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क से विमुक्ति को वापस ले लिया गया था, किन्तु इसके वापस होने से महिलाएँ परिसंपत्ति के स्वामित्व से वंचित नहीं हुई है। दिनांक–15.05.2020 से दिनांक–28.02.2022 तक 3,56,832/–(तीन लाख छप्पन हजार आठ सौ बतीस) पक्षकारों द्वारा विक्रय पत्रों का निबंधन कराया गया है। जिनमें 1,43,025/(एक लाख तेतालीस हजार पच्चीस) महिलाएँ है। इससे स्पष्ट है कि महिलाएँ उक्त योजना की समाप्ति के उपरांत परिसंपति के स्वामित्व से वंचित नहीं हैं।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार महिलाओं को संपत्ति में स्वामित्व व आत्मनिर्भर व सम्मान के लिए उपरोक्त योजना का पुनः चालू करने का विचार रखती है, हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	संप्रत्ति इसे पुनः चालू करने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

ज्ञापांक :– 13/नि॰ (विधान सभा) 02 /2022 102 /नि॰ राँची, दिनांकः...03·3·2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 563,दिनांक–25.02.2022 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ (दो सौ प्रति के साथ) प्रेषित।

3/3/22

सरकार के अवर सचिव

Assembly Que 04-03-2022 Copy.doc

Sonu

(44)

झारखण्ड विधान–सभा में श्री विरंची नारायण, मा0स0वि0स0 के द्वारा दिनांक–04.03.2022 को सदन में पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–01 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि, महालेखाकार ने झारखण्ड में आयुष्मान भारत–मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बोकारो सहित 18 जिलों में मरीजों के ईलाज के नाम पर क्लेम लेने की गड़बड़ी और फर्जीवाड़ा के 67 मामलों को पकड़ा है और इस मामले में स्वास्थ्य विभाग से जवाब मांगा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। महालेखाकार द्वारा ऑडिट का अंतिम रिपोर्ट अभी तक झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाईटी (जसास) को समर्पित नहीं की गई है। C.A.G Audit टीम के द्वारा ऑडिट के दौरान कथित विमर्श बिन्दु जसास को दिया गया है। वस्तुस्थिति निम्नांकित है :– 67 अस्पतालों के मामलों पर अर्थदण्ड अधिरोपित है। 38 अस्पतालों से अर्थदण्ड की वसूली हुई है एवं 29 अस्पतालों पर अधिरोपित अर्थदण्ड की वसूली प्रक्रियाधीन है।
2.	क्या यह बात सही है कि, ए0 जी0 ने ऑडिट में पाया है कि जिन मरीजों को अस्पताल में भर्ती दिखा कर क्लेम लिए गए हैं, वे भर्ती ही नहीं हुए थे साथ ही ऑडिट में यह भी पाया गया है कि, अधिकारी धोखाधड़ी में संलिप्त अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की जगह कम जुर्माना लगा रहे हैं, इन पर नियमानुसार 5 गुणा जुर्माना लगाया जाना था, लेकिन 3 गुणा जुर्माना ही लगाया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। महालेखाकार द्वारा अंतिम रिपोर्ट अभी तक जसास को समर्पित नहीं की गई है। C.A.G Audit के दौरान कथित विमर्श बिन्दु जसास को दिया गया है, जिस पर वस्तुस्थिति निम्नवत् है :– अस्पतालों पर अधिरोपित 3 गुणा जुर्माना उस समय अस्पतालों के साथ हुए एकरारनामें के Annex-6(F) जिसमें तीन गुणा अर्थदण्ड लगााने की बात कही गयी है के अनुरूप की गयी है एवं बाद में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा–निर्देश में 5 गुणा तक अर्थदण्ड लगाने की बात कही गयी है।
3.	क्या यह बात सही है कि ऑडिट में पाया गया है कि, राज्य के उक्त 18 जिलों के 67 केस में अस्पतालों पर कुल 8.06 करोड़ रूपये जुर्माना लगाया गया है, जिसमें से मात्र 87.64 लाख रूपये की ही वसूली हो पायी है और कुल 7.19 करोड़ रूपये का जुर्माना अब तक वसूला नहीं जा चुका है:,	आंशिक स्वीकारात्मक। अर्थदण्ड की रिकवरी प्रक्रियाधीन है। झारखण्ड राज्य आरोग्य सोसाईटी के पत्रांक–366 दिनांक–16.10.2021 से अस्पतालों को अधिरोपित राशि जमा करने हेतु निदेशित किया जा चुका है। राशि जमा नहीं करने की स्थिति में निलाम पत्र दायर करने अथवा अर्थदण्ड को दावा राशि से समायोजित कर लेने हेतु अस्पतालों को सूचित किया गया है। साथ ही दिनांक–18.02.2022 को बीमा कम्पनी को ई–मेल के माध्यम से अर्थदण्ड अधिरोपित अस्पतालों की सूची अस्पतालों की दावा राशि से समायोजित करने हेतु निदेशित किया गया है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त फर्जीवाड़ा में शामिल अस्पतालों पर कठोर कार्रवाई करते हुए नियमानुसार काम नहीं करने और उक्त बकाया जुर्माना राशि को अब तक नहीं वसूलने में संलिप्त अधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है ? हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट की गई है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 04/वि0 स0–09–03/2022 30(4) राँची, दिनांक–03.03.2022

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र०–119 वि0 स0 दिनांक–17.02.2022 के प्रसंग में 220 प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित।

03/03/22

(आनन्द कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव

(45)

प्रो0 स्टीफन मराण्डी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–04.03.2022 को सदन में पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–35 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP) के अन्तर्गत कार्यरत Psychiatric Social Worker और Chemical Psychologyist को सरकार के द्वारा मानदेय के रूप में 42,120/00 रूपये प्रतिमाह भुगतान हेतु भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए मानदेय की राशि प्राप्त है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है, कि Higher Qualifications, Skills और experience के आधार पर समिति गठित कर मानदेय rationalization का निर्देश प्राप्त है ;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है, कि उक्त पदों हेतु Rop में भारत सरकार से स्वीकृत एवं प्राप्त मानदेय अभी तक कर्मियों को नहीं दी गयी है ;	सभी कर्मियों को भारत सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत मानदेय भुगतान किया जा रहा है। परन्तु विभिन्न वर्षों में नियुक्त कर्मियों के मानदेय में विसंगति पाया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों के मानदेय विसंगति दूर करने हेतु अभियान निदेशक के अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। समिति से अनुशंसा प्राप्त होने पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार भारत सरकार से प्राप्त मानदेय की राशि उक्त कर्मियों को भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्न–03 के उत्तर में निहित है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0 : 21/वि0स0–06–06/2022–40(21) राँची, दिनांक–03/03/2022

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक 642 वि0स0 दिनांक 26.02.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.3.2022
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप सं0 : 21/वि0स0–06–06/2022–40(21) राँची, दिनांक–03/03/2022

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड राँची, प्रशाखा–17 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.3.2022
सरकार के उप सचिव।

(46)

363
03/03/2022

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–04.03.2022 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या – 34 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्नकर्त्ता श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता सत्यानन्द भोक्ता माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में निबंधित बेरोजगार युवाओं की संख्या–4 लाख है, जिसमें गैर तकनीकी या सामान्य शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों की संख्या अधिक है;	**स्वीकारात्मक है।**
2	क्या यह बात सही है कि युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्य में पलायन होने पर मजबूर होना पड़ रहा है;	राज्य के नियोजनालयों में निबंधित शिक्षित बेरोजगारों को निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोजगार मेला एवं भर्त्ती कैम्पों का आयोजन समय–समय पर किया जाता है, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2019–20 में 13,667, वित्तीय वर्ष 2020–21 में 2,504 एवं वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में 2,119 इस प्रकार कुल 18,290 निबंधित युवाओं को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण देकर रोजगार मुहैया कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	नियोजनालयों में निबंधित अधिक से अधिक युवक/युवतियों को झारखण्ड कौशल विकास मिशन के माध्यम से प्रशिक्षित कराने का निदेश विभागीय स्तर से मिशन निदेशक, झारखण्ड कौशल विकास मिशन को दिया गया है।

03/03/2022
(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–02/श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–18/2022श्र0नि0– 362 राँची, दिनांक–03/03/22

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं०–643, दिनांक–26.02.2022 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

03/03/2022
सरकार के अवर सचिव।

(47)

श्री नवीन जायसवाल, माननीय सदस्य, झारखंड विधान–सभा द्वारा दिनांक–04.03.2022 को सदन में पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–22 का उत्तर सामग्री।

क्रमांक	प्रश्न		उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखंड राज्य विधि आयोग का विस्तार दिनांक–14.11.2019 को हुआ था। जो कि झारखंड राज्य विधि आयोग का एक संवैधानिक कार्यालय है एवं झारखंड राज्य विधि आयोग में लगभग 18 वर्षों से संविदा के आधार पर कर्मचारी कार्यरत है;	:–	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। वर्त्तमान में झारखंड राज्य विधि आयोग में 04 (चार) कर्मी यथा–01 (एक) दिनचर्या लिपिक एवं 03 (तीन) आदेशपाल संविदा पर कार्यरत है, जिसमें से दिनचर्या लिपिक वर्ष 2004 से 03 आदेशपाल क्रमशः वर्ष 2000, 2005 एवं 2010 से कार्यरत है।
2.	क्या यह बात सही है कि हर दो साल के लिए झारखंड राज्य विधि आयोग का कालावधि विस्तार किया जाता है;	:–	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि वर्त्तमान में झारखंड राज्य विधि आयोग की कालावधि दिनांक–13.11.2021 को समाप्त हो गई है, एवं तब से अबतक इनका कालावधि विस्तारीकरण नहीं किया गया है। जिस कारण संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों का वेतन 14.11.2021 से लंबित है। जिस कारण इन्हे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है;	:–	स्वीकारात्मक। दिनांक–14.11.2021 से आयोग की कालावधि का विस्तार, आयोग के अध्यक्ष के रिक्त पद पर नियुक्ति किये जाने एवं संविदा पर नियुक्त 04 (चार) कर्मियों की संविदा अवधि विस्तारित किये जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखंड राज्य विधि आयोग का कालावधि विस्तारीकरण कर 18 वर्षो से कार्यरत संविदा कर्मियों की सेवा नियमित करने एवं दिनांक–14.11.2021 से उनके लंबित वेतन का भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	:–	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या–1348 दिनांक–13.02.2015 तथा अधिसूचना संख्या–4871 दिनांक–20.06.2019 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में नियमानुसार नियमितिकरण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। झारखंड राज्य विधि आयोग की कालावधि एवं नियुक्त संविदा कर्मियों की संविदा अवधि विस्तारित होने के पश्चात् आयोग में नियुक्त संविदा कर्मियों के वेतन भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
विधि विभाग

ज्ञापांक–ए0/विधि–वि0स0प्र0–07/2022–419/जे0 राँची, दिनांक–02/03/2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–481/वि0स0, दिनांक–25.02.2022 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

02/03/2022

(नलिन कुमार)
प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखण्ड, राँची।

(48)

श्री निरल पुरती, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–04.03.2022 को पूछे जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या – अ०सू०–23 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्नकर्त्ता श्री निरल पुरती, माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता सत्यानन्द भोक्ता माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है कि कौशल विकास मिशन के तहत् क्षेत्रीय संस्कृति से संबंधित प्रशिक्षण का कार्य कम किया जा रहा है;	**उत्तर – स्वीकारात्मक है।** झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी के द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं के माध्यम से कौशल प्रदायी योजनाओं के अन्तर्गत भारत सरकार के Common Cost Norms के अनुरूप NSQF (National Skill Qualification Framework) तथा SSC (Sector Skill Council) द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण कोर्स के अनुसार प्रशिक्षण कार्य किया जा रहा है। सम्प्रति क्षेत्रीय संस्कृति से संबंधित विषय पर प्रशिक्षण कार्य नहीं किया जा रहा है।
2	क्या यह बात सही है कि सुदुरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के छात्र–छात्राओं को इसका लाभ पूर्णतः नहीं मिल रहा है;	**उत्तर – स्वीकारात्मक है।** उपरोक्त उत्तर कंडिका – 1 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
3	यदि उपुर्यक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड क्षेत्रीय कला–संस्कृति से संबंधित प्रशिक्षण कौशल विकास कार्यक्रम में शामिल करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड सरकार राज्य के बेरोजगार युवक/युवतियों को कौशल प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार अथवा स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कृतसंकल्पित है। क्षेत्रीय कला–संस्कृति से संबंधित आवश्यक संसाधन की उपलब्धता तथा प्रशिक्षण सेवा प्रदाता की सहमति के आधार पर क्षेत्रीय कला–संस्कृति से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने पर विचार किया जा सकता है।

03/03/22

(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–02/श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–13/2022श्र0नि0– 360 राँची, दिनांक–03/03/202

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं०–466, दिनांक–25.02.2022 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

03/03/22

सरकार के अवर सचिव।

डा0 नीरा यादव, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–04.03.2022 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–28 का प्रश्नोंत्तरः–

क्रं0सं0	प्रश्न	उत्तर
	डा0 नीरा यादव, मा0स0वि0स0	**माननीय (प्रभारी) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।**
1	क्या यह बात सही है कि भूमि का नक्शा व खतियान ऑनलाईन की व्यवस्था होने से राज्य में सर्वे की जरूरत नहीं पड़ेगी और नक्शे व खतियान का डिजिटाईजेशन भी हो जायेगा।	आंशिक स्वीकारात्मक झारखण्ड राज्य के 32945 ग्रामों के लगभग 99 प्रतिशत खतियान एवं पंजी–II का डिजिटाईजेशन करते हुए Jharbhoomi Portal पर ऑनलाईन किया जा चुका है। साथ ही राज्य से संबंधित कुल–52475 भू–नक्शा में से उपलब्ध 52235 नक्शों के डिजिटाईजेशन करते हुए Jharbhunaksha Portal पर अपलोड किया गया है। Sale Deed, Gift Deed, Succession Deed, Partition Deed, भू–अर्जन की प्रक्रिया आदि के माध्यम से व्यक्ति अथवा विभिन्न एजेन्सियों को भूमि का दिन–प्रतिदिन हस्तांतरण होते रहने के कारण भूमि का मालिकाना हक, भूमि की प्रकृति, भूमि पर अवस्थित संरचना यथा–पेड़–पौधे, जंगल–झाड़ी, जलाशय की स्थिति आदि में बदलाव हो जाता है। भूमि का प्रमाणिक आधार RoR है। अतः भूमि के उक्त बदलाव के कारण भूमि संबंधी कोई विवाद उत्पन्न न हो इसके लिए RoR के अद्यतीकरण की आवश्यकता पड़ती है। उक्त बदलाव को आम जनता के लिए प्रदर्शित करने तथा RoR के अद्यतीकरण हेतु सर्वे कराना आवश्यक है। CNT Act-1908 की धारा 98 के तहत् भी 15 वर्ष में RoR का Revision कराने का प्रावधान है।
2	क्या यह बात सही है कि भूमि सर्वे नक्शा व खतियान डिजिटलाईजेशन होने पर जमीन की खरीद–बिक्री में फर्जीवाड़ा होने की संभावना नहीं रहेगी।	स्वीकारात्मक
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारत्मक है, तो क्या सरकार राज्य के भूमि का नक्शा एवं खतियान ऑनलाईन करने तथा डिजिटलाईजेशन कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका–01 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

ज्ञापांक– 01/निदे0अभि0, वि0स0 (अ0सू0)–22/2022–130/नि0 राँची, दिनांक–03-03-2022

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड वि0स0स0 को उनके ज्ञाप संख्या–487/वि0स0,दिनांक–25.02.2022 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/ प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय (मुख्य) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।
3.3.2022

(50)

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–04.03.2022 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–33 उत्तर प्रतिवेदन

क्र0	प्रश्न	उत्तर सामग्री
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में आयुष दवाओं (आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथिक) का कारोबार 100 करोड़ रूपये का है, परन्तु बाजार में बिक रही आयुष दवाओं की असली नकली जाँच की कोई व्यवस्था नही है;	आयुष दवाओं का कारोबार 100 करोड़ रूपये का कारोबार होने के संबंध में कोई प्रमाणित आँकड़ा नहीं है। राज्य में आयुष दवाओं के सैंपल जाँच हेतु वर्त्तमान में कोई जाँच केन्द्र नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि स्वास्थ्य विभाग को दवा की खरीद करने की जरूरत पड़ने पर दवा की खरीद से पहले दवा की गुणवत्ता की जाँच हेतु सैंपल को दूसरे राज्यों में भेजना पड़ता है;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में आयुष दवाओं के गुणवत्ता की जाँच हेतु स्टेट स्तर का लैब का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों ?	प्रभारी निदेशक आयुष के पत्रांक 115 (आयुष) दिनांक 15.02.2022 द्वारा प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, झारखण्ड, राँची से ड्रग–टेस्टींग लेब्रोटरी के भवन का संशोधित DPR उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। ड्रग टेस्टिंग लेबोरेट्री की स्थापना हेतु डी0पी0आर0 प्राप्त होने के उपरान्त समुचित कार्रवाई की जाएगी ।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग,

ज्ञापांक–20/आयुष वि0स0–13/2022 58 (20) स्वा/राँची, दिनांक 03.03.2020

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–641/वि0स0 दिनांक–26.02.2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

03.03.2022

सरकार के अवर सचिव।

श्री प्रदीप यादव, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–04.03.2022 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–16 का प्रश्नोत्तर।

51

क्र०	प्रश्न	उत्तर
	श्री प्रदीप यादव, म०स०वि०स०	**माननीय (प्रभारी) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।**
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग प्रमण्डल में 1995 से प्रारंभ सर्वे का काम अधुरा रहने से रैयतों के पास खतियान उपलब्ध न रहने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। हजारीबाग प्रमण्डल के हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, कोडरमा, बोकारो एवं गिरिडीह जिले के 55 अंचलों में कुल 7070 ग्रामों से संबंधित किसतवार/खानापुरी, तसदीक, धारा 83, धारा 89 एवं जांच के विभिन्न प्रक्रमों का कार्य प्रगति पर है।
2	क्या यह बात सही है कि अन्य प्रमण्डलों के रैयतों को भी इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। अन्य प्रमण्डलों में सर्वे संबंधित कार्य विभिन्न प्रक्रमों में प्रगति पर है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सर्वे का काम सभी प्रमण्डलों में नये सिरे से कराकर इन कठिनाईयों को दूर करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सर्वे का कार्य एक चरणबद्ध प्रक्रिया है एवं सभी प्रमण्डलों में सर्वे का कार्य प्रगति पर है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांकः–02बी०/भू०अ०प०नि०(वि०स०)अ०सू० –16/2022......127/रा० राँची, दिनांक–03-03-2022

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञाप सं0–486/वि0स0, दिनांक–25.02.2022 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/ विभागीय (मुख्य) मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.03.2020

सरकार के अवर सचिव।

D:\Nide\Vidhanshabha.docx 124 (SOHAN)

पूरक सामग्री

हजारीबाग प्रमण्डल के हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, कोडरमा, बोकारो एवं गिरिडीह जिले के 55 अंचलों में कुल 7070 ग्रामों से संबंधित किसतवार/खानापुरी, तसदीक, धारा 83, धारा 89 एवं जांच के विभिन्न प्रक्रमों का कार्य प्रगति पर है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

(क).....

1. जिला–हजारीबाग, कुल अंचल संख्या–15, कुल ग्राम की संख्या–1335, सर्वे हेतु अधिसूचित ग्रामों की संख्या–1335, किस्तवार सम्पन्न ग्राम–1323, खानापुरी सम्पन्न ग्राम–1323, तसदीक सम्पन्न ग्राम–299, प्रारूप प्रकाशन सम्पन्न ग्राम–299।
2. जिला–रामगढ़, कुल अंचल संख्या–04, कुल ग्राम की संख्या–351, सर्वे हेतु अधिसूचित ग्रामों की संख्या–351, किस्तवार सम्पन्न ग्राम–344, खानापुरी सम्पन्न ग्राम–344, तसदीक सम्पन्न ग्राम–309, प्रारूप प्रकाशन सम्पन्न ग्राम–296, जाँच सम्पन्न ग्राम–10।
3. जिला–कोडरमा, कुल अंचल संख्या–06, कुल ग्राम की संख्या–717, सर्वे हेतु अधिसूचित ग्रामों की संख्या–717, किस्तवार सम्पन्न ग्राम–330, खानापुरी सम्पन्न ग्राम–330।
4. जिला–बोकारो, कुल अंचल संख्या–07, कुल ग्राम की संख्या–426, सर्वे हेतु अधिसूचित ग्रामों की संख्या–426, किस्तवार सम्पन्न ग्राम–345, खानापुरी सम्पन्न ग्राम–345।
5. जिला–गिरिडीह, कुल अंचल संख्या–13, कुल ग्राम की संख्या–2763, सर्वे हेतु अधिसूचित ग्रामों की संख्या–2763, किस्तवार सम्पन्न ग्राम–1037, खानापुरी सम्पन्न ग्राम–1037।
6. जिला–चतरा, कुल अंचल संख्या–10, कुल ग्राम की संख्या–1478, सर्वे हेतु अधिसूचित ग्रामों की संख्या–1478, किस्तवार सम्पन्न ग्राम–727, खानापुरी सम्पन्न ग्राम–727।

(ख)

1. जिला–कोडरमा के अंचल जयनगर, मरकच्चों, चन्दवारा एवं जिला बोकारो के अंलच चनद्रपुरा में किस्तवार खानापुरी का कार्य प्रारंभ किया गया है।
2. जिला बोकारो के अंचल चन्द्रपुरा का तसदीक कार्य प्रारंभ किया गया है।
3. कुल 1015 चादर मानचित्र स्याह से समाप्त कर बंदोबस्त कार्यालय, राँची छपाई हेतु भेजा गया।
4. धारा 83 के अंतर्गत कुल 04 न्यायालय कार्यरत है।
5. धारा 89 के अंतर्गत कुल 04 न्यायालय कार्यरत है।
6. कुल 04 अंचलों का रिसेस कार्य प्रारंभ किया गया है।
7. जिला रामगढ़ अंतर्गत पतरातू अंचल के कुल 46 ग्रमों का अंतिम प्रकाशन की कार्रवाई प्रारंभ है जिसमें 10 ग्रमों का जाँच कार्य सम्पन्न किया गया।

(ग)

1. हजारीबाग बंदोबस्त कार्यालय में पदाधिकारी एवं कर्मी कुल स्वीकृत पद 334 के विरूद्ध पदस्थापित बल 42 एवं रिक्त पद 292 है। चार्ज अफसर–स्वीकृत बल 2, कार्यरत बल–0, रिक्त पद–02, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी–स्वीकृत बल–18, कार्यरत बल–06, रिक्त बल–12, कानूनगो– स्वीकृत बल–25, कार्यरत बल–0, रिक्त पद–25, तृतीय वर्ग–स्वीकृत बल–233, कार्यरत बल–28, रिक्त पद–205 एवं चतुर्थ वर्ग–स्वीकृत बल–80, कार्यरत बल–07, एवं रिक्त पद–73 है।

   दैनिक पारिश्रमिक पर 51 कर्मी कार्यरत है।

विभागीय स्तर से सर्वेक्षित राजस्व का अधिसूचना निर्गत से संबंधित स्थिति

क्र0 सं0	बंदोबस्त कार्यालय का नाम	जिला का नाम	अंचल का नाम	ग्रामों की संख्या	बन्दोबस्त द्वारा हाल सर्वे अंतिम प्रकाशन का वर्ष	विभागीय अंतिम प्रकाशन गजट अधिसूचना संख्या	अभ्युक्ति
1	राँची	गुमला	1. डुमरी	115	1995–2003	44 / सर्वे–7.02.14	
			2. भरनो	069	1994–2003	44 / सर्वे–7.02.14	
			3. चैनपुर	085	2002–2003	44 / सर्वे–7.02.14	
			4. विशनपुर	066	1995–2002	44 / सर्वे–7.02.14	
			5. घाघरा	113	2008–2015	381 / नि.रा. 03.06.2016	
		लोहरदगा	6. लोहरदगा	042	वर्ष, 2006 तक	302 / सर्वे–25.09.06	
			(निगनी)	001	वर्ष, 2013 तक	374 / सर्वे–21.09.13	
			7. सेन्हा	088	वर्ष, 2006 तक	302 / सर्वे–25.09.06	
			8. भंडरा	056	वर्ष, 2006 तक	302 / सर्वे–25.09.06	
			9. कुडू	076	वर्ष, 2006 तक	302 / सर्वे–25.09.06	
			10. किस्को	091	वर्ष, 2006 तक	302 / सर्वे–25.09.06	
					वर्ष, 2006 तक		
			कुल	802			
2	धनबाद	धनबाद	1. धनबाद	066	2005–2011	423 / सर्वे–17.07.2014	
			2. झरिया	048	2005–2007	169 / सर्वे–22.05.08	
			3. गोविन्दपुर	225	1989–2005	380 / नि.रा.–03.06.16	
			4. बलियापुर	067	1992–2005	169 / सर्वे–22.05.08	
			5. बाघमारा	229	1993–2005	423 / सर्वे–17.07.2014	
			6. टुण्डी	295	1993–2005	65 / सर्वे–09.02.07	
			7. निरसा	261	2000–2005	423 / सर्वे–17.07.2014	
		बोकारो	8. चास	068	2005–2013	423 / सर्वे–17.07.2014	
			9. चंदनक्यारी	065	2010–2011	423 / सर्वे–17.07.2014	
			कुल	1324			
3	पलामू	पलामू	1. धुरकी	056	1999–2007	219 / सर्वे, दि0–18.06.08	
			2. रंका	145	1997–2007	219 / सर्वे, दि0–18.06.08	
			3. भंडरिया	078	1994–2007	219 / सर्वे, दि0–18.06.08	
			4. पाटन	002	2016	463 / सर्वे, दि0–04.07.16	
			5. पाटन	002	2015–2016	174 / सर्वे, दि0–06.04.17	
			6. पाटन	006	2017	327 / सर्वे, दि0–13.06.17	
			7. मेदिनीनगर	002	2017	605 / सर्वे, दि0–17.10.07	
			8. छतरपुर	174	2009–2011		
			कुल	465			
	पलामू	गढ़वा	1. हुसैनाबाद	274	2006–2009	29 / रा0, दि0–03.03.10	
			2. भवनाथपुर	080	2009	37 / रा0, दि0–03.03.10	
			3. मझिआँव	179	2006–2007	83 / सर्वे, दि0–05.03.09	
			4. हरिहरगंज	178	2005–2008	404 / सर्वे, दि0–20.12.08	
			5. नगरउटारी	135	1999–2008	303 / सर्वे, दि0–06.11.08	
			कुल	846			

क्र0 सं0	बंदोबस्त कार्यालय का नाम	जिला का नाम	अंचल का नाम	ग्रामों की संख्या	बन्दोबस्त द्वारा हाल सर्वे अंतिम प्रकाशन का वर्ष	विभागीय अंतिम प्रकाशन गजट अधिसूचना संख्या	अभ्युक्ति
	पलामू	लातेहार	1. लातेहार	166	1993–1994	424, दि0–10.08.2005	
			2. बालुमाथ	174	1990–1992	424, दि0–10.08.2005	
			3. बरवाडीह	080	1989–1989	424, दि0–10.08.2005	
			4. महुआटांड़	105	1992	424, दि0–10.08.2005	
			5. चंदवा	085	1992–1994	424, दि0–10.08.2005	
			6. मणिका	096	1989–1990	424, दि0–10.08.2005	
			7. मारू	067	1987	424, दि0–10.08.2005	
			कुल	773			
4	दुमका	दुमका	1. जामा	320	1997–1998	26/सर्वे, दि0–19.02.10	
			2. गोपीकान्दर	129	1997	25/सर्वे, दि0–19.02.10	
			3. काठीकुण्ड	053	2007–2008	379/सर्वे, दि0–03.06.16	
			4. मसलिया	043	2010	379/सर्वे, दि0–03.06.16	
			5. रानेश्वर	014	2010	379/सर्वे, दि0–03.06.16	
			6. रामगढ़	051	2002	379/सर्वे, दि0–03.06.16	
			7. सरैयाहाट	008	2007–2008	379/सर्वे, दि0–03.06.16	
			8. काठीकुण्ड	031	2007–2008	390/सर्वे, दि0–08.06.16	
			9. नारगंज	023	2007–2008	390/सर्वे, दि0–08.06.16	
			10.सलदाहा	006	2008	390/सर्वे, दि0–08.06.16	
			11.झिलमीली	006	2008	390/सर्वे, दि0–08.06.16	
			12.मसनिया	003	2008		
			कुल	687			
5	जमशेदपुर	जमशेदपुर	1. जमशेदपुर	शहरी क्षेत्र के वार्ड नं0–1 से 19 मानगो–शहरी क्षेत्र के वाई नं0–8, 9, 10 शहरी क्षेत्र के वार्ड नं0–1, 2, 3, 4			
			2. मानगो				
			3. जुगसलाई				
			4.				
6	हजारीबाग	हजारीबाग		4651 राजस्व ग्रामों		1964–65 में अधिसूचित	किसी भी अंचल का अधिसूचना निर्गत नहीं हुआ है।

झारखण्ड राज्य के छः बन्दोबस्तों यथा राँची, पलामू, धनबाद, हजारीबाग, दुमका एवं जमशेदपुर अर्न्तगत चल रहे हाल सर्वे की प्रगति संबंधी जिलावार अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन निम्नवत् है :–

क्र0	बन्दोबस्त कार्यालयों का नाम	जिला का नाम	CS सर्वे में अंतिम प्रकाशन का वर्ष	RS/RSS सर्वे में अंतिम प्रकाशन का वर्ष	कुल अंचलों की संख्या	कुल ग्रामों की संख्या	सर्वे हेतु कुल अधिसूचित ग्रामों की संख्या	अंतिम प्रकाशन सम्पन्न ग्राम	विभाग द्वारा अधिसूचित ग्रामों की संख्या	सर्वे हेतु लंबित ग्रामों की संख्या
1	2	3			4	5	6	7	8	9
1	हजारीबाग	हजारीबाग	1911–12		15	1335	1335	0	0	1335
		रामगढ़	1909–10		04	351	351	0	0	351
		कोडरमा	1911–12		06	717	717	0	0	717
		बोकारो	1909–10		07	426	426	0	0	426
		गिरिडीह	1910–11		13	2763	2763	0	0	2763
		चतरा	1909–10		10	1478	1478	0	0	1478
	कुल				55	7070	7070	0	0	7070
2	पलामू	पलामू	1914–18		10	1894	1894	640	191	1254
		गढवा	1914–18		08	907	907	846	846	61
		लातेहार			07	775	775	775	773	2
	कुल				25	3576	3576	2261	1910	1315
3	धनबाद	धनबाद	1911–12	1982–86	08	1348	1192	1191	1191	01
		बोकारो	1909–10		02	306	273	201	133	68
	कुल				10	1654	1465	1392	1324	73
4	राँची	राँची		1927–35	14	1386	1314	18	00	1296
		खूँटी		1927–35	06	768	757	00	00	757
		गुमला		1927–35	11	953	948	518	448	430
		सिमडेगा		1927–35	07	454	450	00	00	450
		लोहरदगा		1975–94	05	354	354	354	354	0
	कुल				43	3915	3823	890	802	2933
5	सिंहभूम (जमशेदपुर)	सरायकेला –खरसावां	1908	1932 1960–65	08	1223	1184	1184	1184	0
		प0 सिंहभूम, चाईबासा	1908	1932 1960–65	15	1662	1662	1662	1662	0
		पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर	1908	1932 1960–65	11	1805	1802	1802	1802	0
	कुल				34	4690	4651	4651	4651	0

क्र0	बन्दोबस्त कार्यालयों का नाम	जिला का नाम	CS सर्वे में अंतिम प्रकाशन का वर्ष	RS/RSS सर्वे में अंतिम प्रकाशन का वर्ष	कुल अंचलों की संख्या	कुल ग्रामों की संख्या	सर्वे हेतु कुल अधिसूचित ग्रामों की संख्या	अंतिम प्रकाशन सम्पन्न ग्राम	विभाग द्वारा अधिसूचित ग्रामों की संख्या	सर्वे हेतु लंबित ग्रामों की संख्या
6	दुमका	दुमका		1922–35 (गेंजर सर्वे)	10	2945	2945	2586	687	356
		देवघर		1922–35 (गेंजर सर्वे)	07	2743	2743	74	00	2669
		साहेबगंज		1922–35 (गेंजर सर्वे)	07	1939	1939	171	00	1668
		गोड्डा		1922–35 (गेंजर सर्वे)	07	2314	2314	00	00	2314
		पाकुड़		1922–35 (गेंजर सर्वे)	06	1262	1262	00	00	1262
		जामताड़ा		1922–35 (गेंजर सर्वे)	04	1173	1173	00	00	1173
	कुल				41	12276	12276	2831	687	9445
	सभी जिलों का कुल योग				208	33181	32861	12025	9374	20836

(52)

श्री अमर कुमार बाउरी, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–04.03.2022 को सदन में पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–15 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि वैश्विक महामारी नोवल कोरोना वायरस (कोविड–19) के परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य विभाग के सभी चिकित्सकों, चिकित्सा कर्मियों एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मियों ने काफी सराहनीय कार्य का संपादन किया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2020–21 में एक माह के मूल वेतन/मानदेय के समतुल्य प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। स्वास्थ्य विभागीय संकल्प सं0–54 (7) दिनांक– 01.05.2021 एवं 552(6) दिनांक 10. 07.2021 के आलोक में कोविड कार्यों में लगे राज्य सरकार के चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों, स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मियों (संविदा सहित), एन0एच0एम0 के अधीन कार्यरत चिकित्सकों/ अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को जिनके द्वारा COVID-19 Related Contact Tracing, Testing, Supervision, कोविड अस्पताल/ कोविड वार्ड में कार्यरत, कार्यालय तथा कंट्रोल रूम में कोविड से संबंधित कार्यों/कोरोना वायरस के रोकथाम चिकित्सा में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन किया गया, के मनोबल तथा कर्तव्य निर्वहन को प्रोत्साहित करने के उदेश्य से उन्हें एक माह (अप्रैल–2020) के मूल वेतन/ मानदेय के समतुल्य प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया।
3.	क्या यह बात सही है कि देश के कई राज्यों यथा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ ने उपर्युक्त सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2021–22 में भी यही लाभ पुनः दिया जा रहा है ;	स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–571(12) दिनांक–02.08.2020 द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं संकल्प सं0–496(12) दिनांक–22.06.2021 द्वारा वर्ष 2021–22 में भी कोविड–19 से संबंधित कार्यरत चिकित्सकों एवं कर्मियों को एक माह के मूल वेतन/मानदेय के समतुल्य प्रोत्साहन राशि भुगतान की स्वीकृति दी गई है। शेष राज्य के संबंध में सूचना प्राप्त की जा रही है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कोविड–19 के तृतीय लहर में भी झारखण्ड राज्य चिकित्सकों, चिकित्सा कर्मियों एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मियों के सराहनीय कार्य को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2021–22 में एक माह के मूल वेतन/मानदेय के समतुल्य प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नही तो क्यों ?	इससे संबधित प्रस्ताव सम्प्रति विभाग में विचाराधीन नहीं है।

झारखंड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 08/वि0 स0 प्रश्न (अल्प–सूचित)–04/2022 28(08)राँची, दिनांक– 03/03/22

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०–472 वि0 स0 दिनांक–25.02.2022 के प्रसंग में 200 प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित।

03.03.2022

(मनोज कुमार सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव

53

श्री अमित कुमार यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–04.03.2022 को पूछा जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–18 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री अमित कुमार यादव, माननीय स0वि0स0	माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग, कोडरमा सहित राज्य के अन्य जिलों में गैरमजरूआ भूमि का ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत नहीं किया जा रहा है, जिस कारण आम नागरिकों को घोर कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ;	अस्वीकारात्मक। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–2884(5)/रा0, दिनांक–10.07.2018 के साथ सहपठित मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–0758, दिनांक–03.07.2018 के आलोक में अवैध जमाबंदी रद्द करने हेतु खोले गये अभिलेखों पर अंतिम आदेश पारित होने तक पूर्व में निर्गत मैनुअल लगान रसीद निर्गत करने का आदेश निर्गत है।
2	क्या यह बात सही है कि ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत नहीं होने से गैरमजरूआ भूमि की रजिस्ट्री भी नहीं हो पा रही है ;	सरकारी भूमि के बचाव हेतु विभिन्न विभागों के भूमि की प्रविष्टि प्रतिबंधित सूची के रूप में NGDRS Software में की गयी है, ताकि अवैध तरीके से सरकारी भूमि की बिक्री नहीं की जा सके। प्रतिबंधित सूची से किसी प्लॉट विशेष को हटाने के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या–452/नि०, दिनांक–07.09.2021 के द्वारा जिलों के उपायुक्त सक्षम पदाधिकारी अधिसूचित किये गये है, जिनके द्वारा Genuine reason के आधार पर प्रतिबंधित भूमि से किसी प्लॉट को हटाया जा सकंता है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लोक हित में गैरमजरूआ भूमि का ऑनलाईन लगान रसीद निर्वाध रूप से निर्गत कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उत्तर उपरोक्त दोनों कंडिकाओं में सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–5/स0भू0 हजारीबाग, कोडरमा (वि०स०अ०सू०)–42/2022 676 (5)/रा0 राँची, दिनांक 03-03-2022

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके पत्रांक–484/वि0स0, दिनांक–25.02.2022 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय झारखण्ड, राँची/माननीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/22

सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

संचिका सं0–13/नि0वि0 (निगेटिव लिस्ट)–10/17...452/नि.   रांची, दिनांक– 07/09/2024

अधिसूचना

विभागीय अधिसूचना संख्या–585, दिनांक–10.10.2019 द्वारा निबंधन में संबंधित सॉफ्टवेयर NGDRS में सूचीबद्ध प्रतिबंधित भूमि की सूची से किसी प्लॉट को मुक्त करने हेतु संबंधित जिला के उपायुक्त को "सक्षम पदाधिकारी" घोषित किया गया है तथा अधिसूचना की कंडिका 3, 4 एवं 5 द्वारा विशेष परिस्थिति में Genuine Reason के आधार पर प्रतिबंधित सूची से किसी प्लॉट को हटाने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गयी है, जिसके अन्तर्गत संबंधित उपायुक्त द्वारा जाँचोपरांत संबंधित प्लॉट को प्रतिबंधित सूची से मुक्त करने हेतु आदेश पारित किया जाता है तथा राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी द्वारा प्रतिबंधित सूची से प्लॉट को हटाने का कार्य किया जाता है।

प्रतिबंधित सूची से किसी प्लॉट को हटाने का कार्य अत्यंत संवेदनशील प्रकृति का है तथा इसके लिए विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित करने की आवश्यकता है। उक्त आलोक में इस संबंध में पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या–585, दिनांक–10.10.2019 की कंडिका 3, 4 एवं 5 को विलोपित करते हुए नई कंडिका– 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एवं 11 को निम्नरूप से जोड़ा जाता है।

(3) NGDRS अन्तर्गत संधारित प्रतिबंधित भूमि की सूची के किसी प्लॉट को विशेष परिस्थिति में Genuine Reason के आधार पर मुक्त करने हेतु संबंधित जिले के उपायुक्त "सक्षम पदाधिकारी" होंगे।

(4) इस संबंध में पक्षकारों द्वारा Genuine Reason के आधार पर प्रतिबंधित भूमि से किसी प्लॉट को मुक्त करने हेतु संबंधित जिले के उपायुक्त के समक्ष आवेदन प्रेषित किये जाएँगे।

(5) पक्षकार द्वारा अपने आवेदन के साथ अपने दावे के पक्ष में भूमि के दस्तावेज यथा–खतियान, निबंधित दस्तावेज, पंजी–II, शुद्धि पत्र, लगान रसीद आदि संलग्न किये जाएँगे।

(6) प्रत्येक आवेदन हेतु वाद संख्या निर्धारित की जाएगी तथा संबंधित उपायुक्त द्वारा इसकी सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित की जाएगी। सुनवाई के क्रम में उपायुक्त द्वारा संबंधित अंचलाधिकारी अथवा अन्य संबंधित कार्यालयों से भी इस संबंध में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया जा सकेगा।

(7) सुनवाई के उपरांत संबंधित उपायुक्त द्वारा प्रतिबंधित सूची से किसी प्लॉट को हटाने हेतु अथवा पक्षकार के दावे को खारिज संबंधी "मुखर आदेश" पारित किया जाएगा, तथा इसकी प्रति संबंधित जिला अवर निबंधक को भी उपलब्ध कराई जाएगी। जिला अवर निबंधक द्वारा उपायुक्त द्वारा पारित प्रत्येक मुखर आदेश को Guard File में संधारित किया जाएगा।

(8) यदि उपायुक्त द्वारा सुनवाई उपरांत पक्षकार के दावे से संतुष्ट हो कर प्लॉट को प्रतिबंधित सूची से मुक्त करने का आदेश पारित किया जाता है तो उपायुक्त द्वारा एन0आई0सी0 द्वारा उपलब्ध कराये गये User Id एवं Password का उपयोग करते हुए प्रतिबंधित सूची से प्लॉट को हटाने का कार्य किया

07/09/2024

(2)

जाएगा। यदि संबंधित प्लॉट के कुल रकबा में से आंशिक भूमि को प्रतिबंधित सूची से मुक्त किया जा रहा हो तो निबंधन के उपरांत उपायुक्त द्वारा पुनः उस प्लॉट को लॉक कर दिया जाएगा जिससे उस प्लॉट की शेष भूमि का निबंधन ना हो सके।

(9) इस हेतु राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा की User Id एवं Password का उपयोग के उपरांत संबंधित उपायुक्त के मोबाईल में OTP प्राप्त हो तथा प्राप्त OTP के उपयोग के उपरांत ही प्लॉट को प्रतिबंधित सूची से हटाया जा सके।

(10) प्रत्येक 'मुखर आदेश' की प्रविष्टि हेतु एक पंजी संधारित की जाएगी तथा उक्त पंजी में पक्षकारों के नाम, भूमि, के अंचल, मौजा सं0, तथा प्रतिबंधित सूची से प्लॉट को मुक्त करने अथवा पक्षकारों के दावा को खारिज करने की प्रविष्टि की जाए तथा उक्त पंजी पर उपायुक्त एवं अपर समाहर्त्ता दोनों के द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।

(11) प्रत्येक उपायुक्त द्वारा प्रत्येक माह में विभाग को सूचित किया जाएगा कि उनके द्वारा प्रतिबंधित सूची से प्लॉट को मुक्त करने के कितने आदेश पारित किये गये है।

इस संबंध में पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या–585, दिनांक–10.10.2019 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाएगा।

नोटः– अधिसूचना पर माननीय विभागीय मंत्री की सहमति प्राप्त है।

07/09/2021

(विप्रा भाल)
निबंधन महानिरीक्षक
राँची, दिनांक– 07/09/2021

ज्ञापांक–13/नि0वि0 (निगेटिव लिस्ट)-10/17...452/नि.

प्रतिलिपिः– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

07/09/2021
निबंधन महानिरीक्षक

ज्ञापांक–13/नि0वि0 (निगेटिव लिस्ट)–10/17...452/नि.
राँची, दिनांक– 07/09/2021

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

07/09/2021
निबंधन महानिरीक्षक

ज्ञापांक–13/नि0वि0 (निगेटिव लिस्ट)–10/17...452/नि.
राँची, दिनांक– 07/09/2021

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य सचिव के उप सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त–सह–जिला निबंधक, झारखण्ड/सभी अपर समाहर्त्ता, झारखण्ड/राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, धुर्वा, रांची/सभी निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक, झारखण्ड/सभी जिला अवर निबंधक/सभी अवर निबंधक, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

07/09/2021
निबंधन महानिरीक्षक

130

पत्रांक–5/स0भू0 को0 (अवैध हस्तांतरण)–123/2016...2884...(5)/रा०

झारखण्ड सरकार,

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

प्रेषक,

उदय प्रताप, भा0प्र0से0,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक–10-07-18

विषय :– दिनांक–03.07.2018 को हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या–18 में "अन्यान्य" के रूप में लिये गये निर्णय का संसूचन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक–03.07.2018 को हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की मद संख्या–18 में "अन्यान्य" के रूप में लिये गये निर्णय का पूर्ण उद्धरण संसूचन हेतु प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय), झारखण्ड, राँची के पत्रांक–0758, दिनांक–03.07.2018 द्वारा विभाग को प्राप्त हुआ है।

उक्त पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि मंत्रिपरिषद् द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

(उदय प्रताप)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–5/स0भू0 को0 (अवैध हस्तांतरण)– 123/2016-2884(5)/रा० राँची, दिनांक-10-07-

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय), झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक–0758, दिनांक–03.07.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–5/स0भू0 को0 (अवैध हस्तांतरण)– 123/2016-2884(5)/रा० राँची, दिनांक-10-07-18

प्रतिलिपि :– निदेशक, भू–अर्जन–सह–भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, झारखण्ड, राँची/तकनीकी निदेशक, NIC, धुर्वा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृपया सभी उपायुक्तों से समन्वय स्थापित कर एवं नियमित रूप से अनुश्रवण कर Online प्रविष्टि हेतु यथोचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

सरकार के संयुक्त सचिव

(4) 78

पत्रांक– सी0एस0 01/बैठक (मंत्रि0)–06/2015 0758/

झारखण्ड सरकार

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग

(समन्वय)

प्रेषक,

एस० के० जी० रहाटे,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सचिव,
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग,
झारखण्ड, रांची।

5583
06/7/18

रांची, दिनांक 03 जुलाई, 2018 ई0।

विषय :– **दिनांक 03.07.2018 को हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या– 18 में "अन्यान्य" के रूप में लिये गये निर्णय का संसूचन।**

महाशय,

दिनांक 03.07.2018 को हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या–18 में "अन्यान्य" के रूप में लिये गये निर्णय का पूर्ण उद्वहरण आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है :–

"मंत्रिपरिषद् द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि "अवैध/संदेहास्पद जमाबंदी की अभियान चलाकर जाँचोपरान्त रद्द करने" के संबंध में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत निदेश पत्रांक–2074/रा०, दिनांक 13.05.2016 के क्रम में अवैध जमाबंदी रद्द करने हेतु खोले गए अभिलेखों पर अंतिम आदेश पारित होने तक पूर्व में निर्गत मैनुवल लगान रसीद के आधार पर ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। अवैध जमाबंदी के अभिलेखों में पारित अंतिम आदेश से उपरोक्त निर्णय प्रभावित होगा। वैसे सभी अन्य मामले, जिसमें किसी प्रकार की कार्यवाही के बिना भी लगान रसीद निर्गत किया जाना बाधित है, उन सभी मामलों में भी ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करने की व्यवस्था करते हुए रसीद निर्गत किया जाय।"

विश्वासभाजन,

03/07/18

(एस० के० जी० रहाटे)
सरकार के प्रधान सचिव

श्री लम्बोदर महतो, माननीय सदस्य, झारखंड विधान–सभा द्वारा दिनांक–04.03.2022 को सदन में पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–20 का उत्तर सामग्री।

क्रमांक	प्रश्न		उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखंड राज्य में कई संवैधानिक आयोग एवं न्यायाधिकरण में अध्यक्ष एवं सदस्य के कई पद रिक्त है यथा विधि आयोग, झारखंड राज्य सूचना आयोग, झारखंड राज्य महिला आयोग, झारखंड राज्य वित्त आयोग, झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग, झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग, झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग, झारखंड राज्य उपभोक्ता निवारण आयोग, लोकायुक्त अनुसूचित जनजाति आयोग आदि;	:–	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। **झारखंड राज्य विधि आयोग** में दिनांक–31.10.2014 तक अध्यक्ष पद पर नियुक्ति/पदस्थापन रहा है। वर्त्तमान में झारखंड राज्य विधि आयोग में अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति संबंधित मामला राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। प्रश्न में सन्निहित अन्य आयोग/न्यायाधिकरण से संबंधित मामला अन्य विभागों से संबंधित है। उक्त के संबंध में उत्तर प्रतिवेदन अन्य विभागों से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर तैयार किया गया है, जिसकी विवरणी निम्नरूपेण है:– **झारखंड राज्य सूचना आयोग** एवं **लोकायुक्त** के संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अभिकथित है कि विज्ञापन संख्या– 01/2020 के माध्यम से राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के एकल पद तथा 05 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हेतु क्रमशः 63 एवं 354 आवेदन प्राप्त हुआ है। मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की कार्रवाई सम्प्रति प्रक्रियाधीन है एवं तत्कालीन लोकायुक्त के दिनांक–29.06.2021 को निधन के उपरांत अध्यक्ष का पद रिक्त है। **झारखंड राज्य महिला आयोग** एवं **झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग** के संबंध में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार झारखंड राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन से संबंधित संचिका उच्च स्तर पर उपस्थापित है एवं झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन हेतु समिति की बैठक आयोजित करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। **झारखंड राज्य वित्त आयोग** के संबंध में वित्त विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) के अधिसूचना संख्या–1955/जे0 दिनांक–23.07.2019 द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। राज्य वित्त आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों का पद रिक्त है। सम्प्रति अध्यक्ष एंव सदस्यों की नियुक्ति संबंधी सेवा–शर्त्त एवं प्रक्रिया नियमावली प्रक्रियाधीन है।

क्रमांक	प्रश्न		उत्तर
			झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के संबंध में उर्जा विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार माननीय न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री तपन सेन, झारखंड उच्च न्यायालय, आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों के रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने हेतु गठित चयन समिति में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किये गये है। सम्प्रति आयोग के उक्त रिक्त पदों पर चयन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। **झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग** के संबंध में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग में 01 अध्यक्ष एवं 02 (दो) सदस्य के पद रिक्त है। वर्त्तमान में श्री एस0 के0 सतपथी सदस्य–सह–कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर कार्यरत है। सम्प्रति झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत एक अध्यक्ष एवं 01 (एक) सदस्य का पद रिक्त है। **झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग** एवं **अनुसूचित जनजाति आयोग** के संबंध में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्याक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का पुनर्गठन प्रक्रियाधीन है। **झारखंड राज्य उपभोक्ता निवारण आयोग** के सबंध में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलें विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार राज्य आयोग (उपभोक्ता) संरक्षण के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु तीन बार विज्ञापन प्रकाशित किया गया, परंतु प्रकाशित विज्ञापन के विरूद्ध किसी भी योग्य उम्मीदवार से आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। उक्त स्थिति में राज्य आयोग (उपभोक्ता) संरक्षण, राँची के ज्येष्ठतम सदस्य को अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। उक्त आयोग के लिए सदस्य के स्वीकृत 04 (चार) पद के विरूद्व 03 (तीन) पद पर नियुक्ति की जा चुकी है। सदस्य के शेष 01 (एक) रिक्त पद पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

क्रमांक	प्रश्न		उत्तर
2.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ततसंबंधी ब्यौरा देने तथा आयोग एवं न्यायाधिकरणों के गठन करने तथा राज्यहित में इन संस्थानों में अध्यक्ष/सदस्यों की नियुक्ति करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	:–	कंडिका–1 के उत्तर में वस्तुस्थिति स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार
विधि विभाग

ज्ञापांक–ए0/विधि–वि0स0प्र0–08/2022–428/जे0 राँची, दिनांक–03 मार्च, 2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–480/वि0स0, दिनांक–25.02.2022 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

03/03/2022

(नलिन कुमार)
प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखण्ड, राँची।

(55)

354
03/03/2022

श्री बंधु तिर्की, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–04.03.2022 को पूछे जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या – अ०सू०–07 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्नकर्त्ता **श्री बंधु तिर्की,** माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता **सत्यानन्द भोक्ता** माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है कि केरल के एर्नाकुलम जिले के कुन्नाथुंडू थाने में दर्ज (केस सं0–1587/2021) मामले में कुल 71 प्रवासी मजदूर 25 दिसम्बर से जेल में बन्द है जो काइटेक्स कम्पनी में काम करते थे;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि मारपीट के आरोप लगाकर उक्त मजदूरों को गिरफ्तार किया है, जबकि काइटेक्स कम्पनी के मैनेजिंग डायरेक्टर साबु जोसेफ के अनुसार बिना किसी साक्ष्य के उनकी कम्पनी के प्रवासी मजदूरों को गिरफ्तार उनकी कम्पनी को नुकसान पहुँचाने के लिए किया गया हैं;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। मामला न्यायाधीन है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार झारखण्ड के प्रवासी मजदूर जो अवैध रूप से केरल के जेलों में बन्द है उन्हें प्रदेश वापसी यथाशीघ्र कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	उपरोक्त खण्डों के उत्तर में स्थिति स्पष्ट की गयी है। मामला न्यायाधीन है। प्रवासी श्रमिकों के लिए संचालित राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष द्वारा समन्वय किया जा रहा है।

03/03/22

(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–02/श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–09/2022श्र0नि0– 354 **राँची, दिनांक–** 03/03/2022

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं०–467, दिनांक–25.02.2022 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

03/03/22

सरकार के अवर सचिव।

(51)

डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–04.03.2022 को सदन में पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–10 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि कोविड–19 संक्रमण काल में दूसरी लहर के दौरान राज्य सरकार के द्वारा संक्रमितों को बेहतर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करने हेतु जिला स्तरीय सभी अस्पतालों में जीवन रक्षा प्रणाली युक्त व्यवस्था की गई थी	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि कोविड–19 के दूसरी लहर में संक्रमितों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि होने के कारण सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध न होने पर राज्य सरकार के निर्देश पर निजी अस्पतालों में वेंटिलेटर युक्त बेडों की व्यवस्था की गई थी ;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार के कोविड–19 से मृतकों के आश्रितों का 50,000 (पचास हजार रुपया) मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए राज्य सरकार के पास सरकारी अस्पताल में मृत संक्रमितों का आँकड़ा उपलब्ध है ;	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार निजी अस्पतालों में अपनी जान गवा बैठे कोविड–19 संक्रमितों का वास्तविक आँकड़ा उपलब्ध कर उनके आश्रितों का मुआवजा देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) के पत्रांक–61 (अनु0) दिनांक–08.12.2021 के आलोक में सभी निजी तथा सरकारी अस्पतालों में कोविड–19 से संक्रमित एवं मृत व्यक्तियों के आश्रितों को मुआवजा का भुगतान करने का आदेश निर्गत है। मुआवजा भुगतान से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त किया जा सकता है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 08/विधान सभा प्रश्न (अ0सू0)–02/2022 29(08) राँची, दिनांक–3/3/2022

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०–474 वि0 स0 दिनांक–25.02.2022 के प्रसंग में 200 प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित।

03.03.2022

(मनोज कुमार सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव